

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2022/58

प्रार्थी शंकर लाल पुत्र राम प्रताप निवासी वार्ड नं0 06, 3 एसएडी मसानी वाला तहसील विजयनगर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री राम प्रताप पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी 2 एनपी तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 12.07.2012 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 16.01.2022 को हो चुका है। जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे। वारिसनामा व मूल रसीद पेश नहीं की है बल्कि शपथ पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी को गवाहान नत्थूराम पुत्र काशीराम एवं अनिल कुमार पुत्र शंकरलाल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

11/2